Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2026, E-Journal, Vol. I, Issue LV (55), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

मध्यप्रदेश राज्य में जनजातियों के कल्याण में शासकीय योजनाओं का प्रभाव

जगदीश उइके *

* डॉ. भीमराव अंबेडकर शासकीय महाविद्यालय, आमला, जिला बैतूल (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – मध्यप्रदेश भारत में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्यावाला राज्य है। राज्य में भील, गोंड, बैगा, भारिया और सहरिया जैसी प्रमुख जनजातियाँ निवास करती हैं। इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य राज्य और केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के आदिवासियों के सामाजिक–आर्थिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करना है।जनजातियों के अधिकांश संसाधन अविकसित व अगम्य क्षेत्रों में हैं। ये लोग दूर–दराज की बस्तियों व गाँवों में रहते हैं। आजकल, इनकी एक छोटी संख्या कस्बों, शहरों व नगरो में भी रहने लगी है। जनजातीय विकास दर की प्रक्रिया धीमी है। विभिन्न संघीय एवं राज्य कानूनों के तहत जनजातियों को कई अधिकार व रियायतें दी गई हैं। लेकिन प्रवर्तन एजेंसियों की अज्ञानता व उदासीनता के कारण, इन्हें इन कानूनों से मिलने वाले लाभों से वंचित रखा जा रहा है। विकास कार्यक्रमों को संचालित करने वाली प्रवर्तन एजेंसियों की बहुलता ने समस्या को और अधिक बढ़ा दिया है। कई बार ये ऐजेसियाँ अपने प्रयासों का समन्वय करने में असमर्थ होती हैं या फिर लंबी अवधि तक के कार्यक्रमों का पालन करने में विफल रहती हैं। वास्तव में, सरकार द्वारा किये गये प्रयासों के बावजूद भी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद गरीब लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है। इसके लिये मूल समस्या संसाधनों के कमी की नहीं है, बल्कि समस्या कुप्रबंधन की है। स्वतंत्रता के पूर्व, देश के नेता व समाज सुधारकों ने भी जनजातियों के कल्याण के महत्व को समझा और देश के आजाद होने के बाद संविधान निर्माण के समय संविधान में इनके लिए विशेष प्रावधान निर्मित किये गये हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही जनजातीय लोगों के प्रति चिंता रही है। उक्त पृष्ठभूमि में, वर्तमान अध्ययन जनजातियों के समग्र विकास पर केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विकास कार्यक्रमों के प्रभाव की समीक्षा की गई है।

शब्द कुंजी –जनजातीय कल्याण, शासकीय योजनाएँ, मध्य प्रदेश, सामाजिक–आर्थिक विकास, प्रभाव मूल्यांकन।

प्रस्तावना – जनजातिय भारतीय जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण भाग है। किसी भी अर्थव्यवस्था का विकास जनजातियों में सकारात्मक रूप से उनके सामाजिक, सास्कृतिक एवं आर्थिक विकास से जुड़ा होता है। अर्थव्यवस्था का विकास इनके अतीत की विरासत को वर्तमान से जोड़ता है। इस शोध आलेख में जनजातियों को परिभाषित करने और भारत में उनकी महत्वपूर्ण स्थिति को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनजातीय आबादी भारतीय उपमहाद्वीप ने पाई जाती है। पूर्व–आर्य काल से ही. इस देश में कई तरह के जनजातीय समुदाय निवास करते रहे है। वेद, रामायण एवं महाभारत जैसे प्राचीन भारतीय साहित्यों में, हमे अनेक जनजातीय समुदायों के नाम और विवरण मिलते है। ऋग्वेद में जहाँ असुरों का उल्लेख भी मिलता है, तो वही रामायण में भी विभिन्न जनजातीय समूहों का उल्लेख है, जिनमें निषाद, गोरधराज, सबरी, नाग और यक्ष आदि शामिल है। महाभारत में किरात, मुंडाआदि का भी उल्लेख मिलता है। साथ ही भील और मुशहरों की उत्पत्ति का वर्णन भागवत पुराण में मिलता है।

यद्यपि, दुनिया भर में जनजातीय आबादी मौजूद है, फिर भी भारत में जनजातीय लोगों की संख्या सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल आबादी में जनजातियों की कुल संख्या 104281034 है, जो देश की कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत भाग है। भारतीय संविधान की पाँचवी अनुसूची के अनुसार देश भर में लगभग 744 जनजातीय समूह है। जिन्हें भारत सरकार द्वारा औपचारिक रूप से अनुसूचित जनजाति का दर्ज मिला हुआ है। ये सभी समूह 105भाषाएँ एवं 225 सहायक भाषाएँ बोलते हैं। तुलनात्मक रूप से देखा जाय तो पिछले तीन जनगणना वर्षों के आधार पर जनजातीय जनसख्या संरचना क्रमश 1951 में, 5.6 प्रतिशत भारतीय जनजातियों थी और 2001 तक यह इनका प्रतिशत बढ़कर 8.2 प्रतिशत हो गयी। जबकि 2001 में जहाँ केवल 24 प्रतिशत जनजातियों शहरी क्षेत्रों में रहती थी, वहीं उनमें से अधिकांश कुल ग्रामीण आबादी का 10.4 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहती थीं। अंततरू 2011 की जनगणना से ज्ञात होता है कि वर्तमान में जनजातीय आबादी देश की कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत है. जिसमें से 28 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में और 11.3 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं।

संम्पूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था को विकास की सतत एवं बहुआयामी प्रक्रिया को एक अंग के रूप में पुनर्गठित और पुनर्निर्देशित किया जाना चाहिए। यूनेस्को ने विकास की अवधारणा में कहा है कि सभी देश की सरकार विकास के आयामों के घटक इस तरह तैयार करे कि सास्कृतिक पहचान ही समुदायों की पहचान हो, क्योकि विकास तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक वह उस धारणा पर केंद्रित न हो।

इसलिए, जनजातीय विकास के बहुरूपदर्शक का विश्लेषण करते समय, जनजाति की अवधारणा को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, जो स्पष्ट रूप से उनकी छवि के संदर्भ में है। जैसा कि सर्वविदित है कि भारत के जनजातीय लोग यहाँ के मूल निवासी हैं। वह इस अर्थ में कि आर्य–

भाषीलोगों के भारत में प्रवेश करने और नदी घाटियों के किनारे देश के बड़े हिस्से में फैलने से पहले ही जनजातियाँ देश के विभिन्न भागों में लंबे समय से बसी हुई थी। अंग्रेजों का शासन काल हो जाने के बाद इन जनजातियों को धीरे-धीरे मैदानी इलाकों से जंगलों, पहाड़ियों और विशाल पर्वतों, ढलानों या कृषि आधारित असंगठित व अविकसित क्षेत्रों के किनारे स्थिति दुर्गम क्षेत्रों में जाना पड़ा। यह प्रक्रिया सदियों तक बहुत स्थिरता से चलती रही, जब तक कि हाल ही में राज्य द्धारा इन समुदायों को समाज की मुख्यधारा में वापस लाने के लिए ठोस प्रयास नहीं किये गये। जनजातियाँ अपने निवास क्षेत्र, बोली जाने वाली भाषाएँ, शारीरिक विशेषताएँ, निवास करने वाला भौगोलिक क्षेत्र, जीविकोपार्जन के तरीके, विकास के स्तर और समुदाय के आकार के आधार पर आपस में व्यापक रूप से भिन्न होती हैं।

जनजातीय विकास के लिये वैधानिक प्रावधान- संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के तहत अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। जनजातीय कार्य मंत्रालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत संवैधानिक दायित्व के अनुसार जनजातीय जनसंख्या वाले राज्य सरकारों को धनराशि प्रदान करता है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों में प्रशासनिक स्तर पर उन्नयन कर इनके कल्याण को बढ़ावा देना है। मध्य प्रदेश राज्य के साथ देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को जनजातियों के विकास के लिये अनुदान दिये जाते हैं।

देश में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में सामुदायिक विकास के एक व्यापक कार्यक्रम के साथ शुरू हुई थी। 1951 में देश के विभिन्न हिस्सों में कुल 56 सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किये गये थे। इन कार्यक्रमों के द्धारा ग्रामीण क्षेत्रों के बहुआयामी विकास के लिए समन्वित कार्यक्रम पेश किये गये। 1953 में लोगों को आवश्यक बुनियादी जरूरतों एवं अल्प मात्रा में धनराशि प्रदान करनेके उद्देश्य से राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड स्थापित किये गये ताकि जरूरत मंद लोग मूलरूप से बुनियादी स्व-सहायता के द्धारा स्वयं अपना विकास कार्य शुरू कर सकें। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अतिरिक्त 1954 में पांच वर्षों के लिए 27 लाख रुपये की लागत वाली परियोजनाएँ शुरू की गई। ये परियोजनाये देश के 34 विकासखण्ड में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों में सचालित की गई। 1956 में बनी एल्विन समिति ने स्थिति की जांच की और समीक्षाधीन जनजातीय क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं को शुरू करने के लिए सतर्क दृष्टिकोण अपनाने का सुझाव दिया। 1957 में, जनजातीय विकासखंडों के लिये एक कम गहन मॉडल तैयार कर 1954 में निर्मित परियोजनाओं को बदल दिया गया। एक जनजातीय विकासखण्ड आमतौर पर 150-200 वर्ग मील तक सीमित था और इसकी आबादी लगभग 25000 थी। एक गहन विकास कार्यक्रम के तहत, इन विकासखण्डों का मुख्य उद्देश्य जनजातीय आबादी को लाभ पहुँचाना है। अप्रैल 1960 में ढेबर आयोग की सिफारिश और अक्टूबर 1961 में इसकी रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे विकासखण्ड पहली बार कई राज्यों में जनजातीयो की सबसे अधिक सान्द्रता वाले क्षेत्रों में पायलट परियोजनाओं के रूप में स्थापित किये गये थे। समय के साथ, इस कार्यक्रम का विस्तार किया गया। इस कार्यक्रम के तहत 500 अतिरिक्त विकासखण्डों को इसमें सम्मिलित किया गया जो तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंत तक इसमें कुल आदिवासी आबादी का लगभग 40 प्रतिशत थी। विकासात्मक पहलो और सुरक्षा उपायों के संदर्भ में, आदिवासियों की स्थिति मूलत: वही रही। 1969 में आदिवासी विकास परियोजनाओं की जाँच के लिए शीलू की अध्यक्षता में एक समिति स्थापित की गई। इस समिति ने अपने जांच प्रतिवेदन में कहा कि ढेबर आयोग की अधिकांश सिफारिशें अभी तक लागू नहीं की गई हैं और आग्रह किया कि ढेबर आयोग की सिफारिशों को बिना किसी और देरी के लागू किया जाना चाहिए। बाद में शीलू सीमित ने जनजातीय विकासखण्ड के दृष्टिकोण को अपर्याप्त बताते हुये उन सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया और तर्क दिया कि विकासखण्ड योजना और कार्यान्वयन की एक बुनियादी इकाई के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए यह बहुत छोटा है। इस संबंध शीलू समिति ने बताया कि आदिवासियों की मुख्य समस्याएँ ऋणग्रस्तता, भूमि हस्तांतरण, आर्थिक पिछड़ापन और संचार की अपर्याप्तता से संबंधित हैं।

जनजातीय उप-योजना - भारतीय योजना आयोग ने पाँचवीं पंचवर्षीय योजना लागू होने के दौरान जनजातीय स्थिति की पुन: जाँच के लिए एक कार्यबल का गठन किया। आयोग का यह माननाथा कि पिछले आयोगों व समितियों द्धारा पहचानी गई कमियों और खामियों पर ध्यान नहीं दिया गया। जबकि ऐसे आयोगों व समितियों ने केवल अनुसूचित जनजातियों और जनजातीय क्षेत्रों को विकास के बजाय कल्याण के मुद्दे के रूप में कार्य किया है, जो विकास कार्यक्रमों की विफलता का एक प्रमुख कारण रहा है। अनुसूचित जनजातियों का कल्याण सामान्य क्षेत्र के परिव्यय पर नहीं, बल्कि पिछड़े वर्ग क्षेत्र के अंतर्गत छोटे परिव्यय पर निर्भर रहा है। जनजातीय क्षेत्रों में, प्रशासनिक ढाँचे में सरलता का अभाव है, जो आदिवासियों की समझ से परे है और इसलिए इनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। इसलिए प्रशासन की ऐसी व्यवस्था व संरचना जनजातीय क्षेत्रों के एकीकृत विकास के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। योजना आयोग ने सुझाव दिया कि जनजातीय क्षेत्रों के संतुलित सामाजिक-आर्थिक विकास की गारंटी के लिए पाँचवीं और बाद की योजनाओं के लिए एक एकीकृत विकास नीति की आवश्यकता होगी। परिणामस्वरूप1974 व 1975 के दौरान एक जनजातीय कार्य योजना की रणनीति विकसित की गई। जनजातीय कार्य योजना में वे क्षेत्र सम्मिलित हैं जहाँ कम से कम 50 प्रतिशत जनसंख्या जनजातीय है। इस तरह देश में पहली बार 16 राज्यों यथा आआंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, तमिलनाडु व पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में जनजातीय कार्य योजनायें लागू की गई है। प्रारंभ में इन राज्यों की 63 प्रतिशत जनजातीय आबादी के लिये जनजातीय उपयोजना विकासित की गई है। बाद में जनजातीय उपयोजना का विस्तार कर इसमें सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्धीप समूह, दमन और दीव, छत्तीसगढ, झारखंड और उत्तरांचल राज्यों को शामिल किया गया। वर्तमान में देश के 21 राज्य और दो केंद्र शासित प्रदेश जनजातीय उपयोजना रणनीति में शामिल हैं। विकास का यह दृष्टिकोण चार जनजातीय बहुल राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड तथा दो केंद्र शासित प्रदेशों लक्षद्धीप, दादरा और नगर हवेली पर लागू नहीं किया गया है। क्योंकि इन क्षेत्रों के जनजातीय आबादी के विकास और कल्याण के लिये जनजातीय उपयोजना के निर्माण के पहले से ही कई योजनायें संचालित हैं। इसलिये इनके लिये अलग से कोई विशेष उपयोजना लागू करने की आवश्यकता नहीं थी।

एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएँ - जनजातीय उप-योजना

रणनीति के कार्यान्वयन हेतु, टीएसपी क्षेत्रों को प्रारंभ में 180 एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएँ में विभाजित किया गया है। वर्तमान में, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों सहित देश में 194 एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएँ हैं। प्रत्येक एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना में 50 प्रतिशत या उससे अधिक जनजातीय आबादी वाले विकासखण्ड/तहसील या यहाँ तक कि इसमें संम्पूर्ण जिले शामिल हैं। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों में, जहाँ जनजातीय आबादी का संकेन्द्रण निकटवर्ती क्षेत्रों में नहीं है. वहाँ पर एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनायों के लिये क्षेत्रों के परिसीमन में एक लचीला दृष्टिकोण अपनाया गया है।

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड – सन् 1984 के बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम के तहत 1987 में ट्राइफेड को एक राष्ट्रीय सर्वोच्च निकाय के रूप में स्थापित किया गया है। ट्राइफेड का निर्माण एमएससीएस अधिनियम, 1984 के तहत किया गया है।। 2002 के बाद बहुराज्यीय सहकारी समिति एमएससीएस अधिनियम के अनुसार, ट्राइफेड को पंजीकृत अधिनियम की दूसरी अनुसूची में एक राष्ट्रीय सहकारी समिति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। नये एमएससीएस अधिनियम 2002 और इसके नियमो के अनुसार, ट्राइफेड के उपनियमों को अप्रैल 2003 में अत्ताद्यतन किया गया। अत्ताद्यतन उपनियमों के अनुसार, ट्राइफेड का प्राथमिक लक्ष्य विभिन्न राज्यों में अपने जनजातियों सदस्यों के हितों को संरक्षितकरने का कार्य किया जाता है।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय – यह कार्यक्रम जनजातीय छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। इससे जनजातीय बच्चों को उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों के साथ-साथ सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उच्च स्तर की नौकरियों में आरक्षण की सुविधा का लाभ मिल सकेगा। अब तक, 24 राज्यों में ऐसे 100 स्कूल स्वीकृत और संचालित किये जा रहे हैं। यह कार्यक्रम 1997-98 से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत वित्ता पोपित है।

अनुसूचित जनजातियों के लिए बालिका छात्रावास – देश की तृतीय पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई बालिका छात्रावास योजना, अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के बीच शिक्षा के प्रसार का एक उपयोगी साधन है। 1991 की जनगणना के अनुसार, महिलाओं की साक्षरता दर 29.23 प्रतिशत की तुलना में अभी भी 18.19 प्रतिशत है। इस योजना के अंतर्गत, राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को नये छात्रावास भवनों के निर्माण अथवा मौजूदा छात्रावासों के विस्तार के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें छात्रावास भवन के निर्माण की लागत केंद्र और राज्य के बीच 50: 50 के अनुपात में समान रूप से साझा की जाती है। जबकि, केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में, केंद्र सरकार द्वारा भवन निर्माण की पूरी लागत वहन की जाती है।

अनुसूचित जनजातियों के लिए बालक छात्रावास – इस योजना के उद्देश्य, मदें और शर्तें तथा सहायता का स्वरूप बालिका छात्रावासों की योजना के समान ही हैं। यह योजना 1989-90 से भारत सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना में छात्रावास भवन के निर्माण की लागत केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच 50: 50 के अनुपात में समान रूप से साझा की जाती है। जबकि, केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में, केंद्र सरकार द्वारा भवन निर्माण की पूरी लागत वहन की जाती है।

मध्य प्रदेश राज्य में जनजातीय विकास- जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार, मध्य प्रदेश राज्य में जनजातियों की कुल जनसंख्या 15316784 (1.53 करोड़) है। जनजातियों की यह आबादी राज्य की कुल जनसंख्या का 21.1 प्रतिशत है। राज्य सरकार द्वारा जनजातियों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। हस्तक्षेपों और जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से तथा अनुसूचित क्षेत्रों में बसे जनजातियों में सुधार लाने हेतु 2016 में विशेष विकास निधि (एसडीएफ) अधिनियम पारित किया गया है। यह सरकार को राज्य की जनसंख्या के अनुपात में इस क्षेत्र में धनराशि खर्च करने के लिए इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है।

मध्य प्रदेश राज्य में 46 समुदायों को आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जिनमें बैगा, सहारिया एवं भरिया जाति को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह का दर्जा दिया गया है। भारत की जनजातीय आबादी का 1. 27 प्रतिशत आबादी मध्य प्रदेश के जनजाति से बना है। राज्य की वर्तमान जनसंख्या का केवल 21.1 प्रतिशत होने के बावजूद, यहाँ की अनुसूचित जनजाति इस प्रदेश में सबसे बड़ी जनजातीय संकेन्द्रण का निर्माण करती हैं। जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश के कुल 89 विकासखण्डों को जनजातीय विकासखण्ड बनाया गया है। इन विकासखण्डों के जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास और बुनियादी ढ़ाचे को बढ़ावा देने के लिये चुना गया है। प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र (3.08 लाख वर्ग कि.मी.) का 31.82 प्रतिशत अर्थात 0.98 लाख वर्ग कि.मी. क्षेत्र जनजातीय उपयोजना के लिये चिन्हित है। जनजातीय विकासखण्ड मुख्य रूप से पश्चिम क्षेत्र (निमाड़, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी), दक्षिणी क्षेत्र (मण्डला, बालाघाट, सिवनी, छिदवाड़ा, बैतूल) तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (शहडोल, सीधी, सिंगरौली, डिड़ौरी) में केन्द्रित है। बैगा, सहरिया तथा भरिया जनजातियों के लिये राज्य शासन द्वारा 11 विशेष अभिकरण 15 जिलों में संचालित है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों वाले विकासखण्डों में जनजातीय उपयोजना के तहत विशेष योजनाएँ लागू की गई हैं।

जनजातीय समुदाय के लिए मध्य प्रदेश सरकार की विकास नीतिविभिन्न जनजातियों द्वारा परिभाषित, उनकी स्वदेशी संस्कृति, परंपराओं, बोलियों और विश्वास प्रणालियों आदि की मान्यता ने सामान्य जनसंख्या के समान अनुसूचित जनजातियों के बीच समावेशी विकास के प्रयास को सरकार ने अतिरिक्त महत्व दिया है। इस दिशा में अनुसूचित जनजाति ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण और स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान प्रदान करना। शिक्षा व आवास योजना जैसी विकास योजनाओं की प्रतिबद्धता राज्य सरकार की नई पहल में है। इन योजनाओं का उद्देश्य आदिवासी समुदायों की आवश्यकताओं के साथ-साथ समानता को भी पूरा करना है। सड़कों से लेकर अनुसूचित जनजातियों के आवासों के लिए धनराशि आवंटित की गई है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय जनजातीय नीति का मसौदा तैयार किया है, जिसमें जनजातीय भूमि का हस्तांतरण, जनजातीय वन अंतर्वेशन, विस्थापन, पुनर्वास और पुनर्स्थापन, मानव विकास सूचकांक में वृद्धि: महत्वपूर्ण अवसंरचना का निर्माण आदि सम्मिलित किया गया है। हिंसक प्रदर्शन, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का संरक्षण और विकासय

टीएसपी रणनीति को अपनाना, सशक्तिकरण, लैंगिक समानता के बारे में ध्यान रखा गया है। इसके अतिरिक्त गैर सरकारी संगठनों का समर्थन प्राप्त करना, जनजातीय संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासनय नियामक और सुरक्षात्मक व्यवस्था, जनजातियों का निर्धारण और अप-निर्धारण जैसे विभिन्न मुद्दे इसमें शामिल हैं।

सामान्य जनसंख्या के समान जनजातियों के बीच समावेशी विकास की प्रेरणा व प्रोत्साहन, उनकी स्वदेशी संस्कृति, परंपराओं, बोलियों और विश्वास प्रणालियों की मान्यताओं के साथ सरकार की और अधिक जबादेही बन जाती है। एकीकृत आवासीय विद्यालय, जनजातीय युवा कौशल उन्नयन योजना, जनजातीय किसानों को प्रोत्साहित करने वाले कृषि योजनाएँ, प्रधानमंत्री आवास योजना, हरित ऊर्जा, गांवों में सौ प्रतिशत सौर ऊर्जा विकास योजना, गृह ज्योति योजना, जनजातीय ग्राम पंचायतों में संस्कति भवनों कानिर्माण, नगर परिषद और जिला परिषदों के अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र के तहत ग्रामीण स्थानीय निकायों और शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान जैसी कई प्रमुख योजनाएँ इस दिशा में राज्य की प्रतिबद्धता साबित करती हैं। ऐसी सभी योजनाएँ जनजातीय समुदायों की समानता और उनके लिये महसूस की गई जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार की गई हैं।

मध्य प्रदेश सरकार जनजातीय समुदायों के समग्र विकास के लिए कई प्रभावी योजनाएँ संचालित कर रही है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित हैं। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 18.58 लाख जनजातीय परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और रोजगार जैसी सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं, जिसमें मोबाइल मेडिकल यूनिट और जनजातीय बहु-विपणन केंद्र स्थापित किए गये हैं। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान 51 जिलों के 11,377 गाँवों में आवास, सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएँ, और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में विकास को बढावा देता है। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना और टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना केतहत 10,000 से 50 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता और ब्याजअनुदान प्रदान किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में आकांक्षा योजना प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग देती है, जबकि मेधावी पुरस्कार और बालिका विज्ञान प्रोत्साहन योजना उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जनजातीय छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहित करती है। आहार अनुदान योजनाएं विशेषपिछड़ी जनजातियों के लिए आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सशक्त बनाती हैं। 2024-25 में जनजातीय उपयोजना के लिए 40,804 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है, जो सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये योजनाएँ जनजातीय समुदायों को मुख्यधारा से जोड़ने और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। वर्तमान में जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे जैसे सड़क, बिजली, पेयजल और डिजिटल कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही स्थानीय हस्तशिल्प, वनोपज, जैविक खेती और स्वरोजगार को बढ़ावा देकर उनकी आर्थिक स्थिति को सशक्त किया जा रहा है। राज्य सरकार की योजनाओं का उद्देश्य न केवल आर्थिक विकास है, बल्कि सांस्कृतिक संरक्षण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना भी है।

निष्कर्ष - वर्तमान में मध्य प्रदेश में 21.1 प्रतिशत आबादी जनजातियों की है जो प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र एवं उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में बसी हुई है। ये सभी जनजातियाँ अपने-अपने सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुसार विभाजित है। तथ्यों व आंकड़ों के विश्लेषणसे स्पष्ट होता है कि सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों का प्रभाव जनजातीय समाज पर काफी हद तक लाभकारी है। देश के कुछ राज्यों में जनजातीय समाज के लोग अब बिना किसी खतरे के अपनी संस्कृति के विकास की ओर धीरे-धीरे अग्रसर है। क्योंकि अब ये अपने सांस्कृतिक अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति जागरूक हैं। आरक्षण, वित्तीय सहायता, बुनियादी ढाँचे का विकास, कृषि सहायता एवं कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसी सरकारी नीतियाँ बनाई गई हैं। इन नीतियों व कार्यक्रमों के द्वारा जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाया जा सकता है। साथ ही ऐसे कार्यक्रमों से इनकी सांस्कृतिकपहचान को संरक्षित करते हुए इन्हें मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने के लिये ये सभी योजनायें इनके लिये अधिक कारगर हैं। हॉलांकि, इन योजनाओं की प्रभावशीलता अलग-अलग होती है, जो अक्सर इन योजनाओं के क्रियान्वयन व लोगों की स्थानीय भागीदारी पर निर्भर करती है। साथ ही इन योजनाओं की पहल जनजातीय आबादी की विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं के साथ किस हद तक उपयोगी है इसके लिये ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। मूलत: जनजाति विकास एक व्यापक प्रक्रिया है, इसलिए एक ऐसा कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए जो जातीय मूल्यों को समकालीन आवश्यकताओं के साथ संतुलित कर सके। जनजातीय संस्कृति विविधता मूलक व एक जटिल संस्कृति है। क्योंकि इनको वर्गीकृत करने के लिए कोई निर्धारित मानदंड नहीं हैं। छोटे वन उत्पादों की खरीद और आवश्यक वस्तुओं की बिक्री में बिचौलियों और व्यापारियों द्वारा जनजातियों का फायदा उठाया जाता हैय इसमें भूमि हस्तांतरण, ऋणों पर अत्यधिक ब्याज दरें एवं ऋण बंधन इत्यादि सभी कुछ इसमें सम्मिलित है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. रमैया, पी. (1999), जनजातीय विकास में मुद्दे, चुघ प्रकाशन, इलाहाबाद।
2. सिंह, ए. के. भारत में जनजातीय विकास, क्लासिकल पब्लिशिंग कंपनी, नई दिल्ली।
3. सिकिदार, सुजीत (1990), जनजातीय भारत का आर्थिक विकास, आशीप पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, पृ. 26-30.
4. कुमार, विजय (2006), भारत में जनजातीय कल्याण और विकास, खंड-2, सतत विकास संस्थान और अनमोल प्रकाशन, नई दिल्ली।
5. सत्यानंद, वी. (2010), भारत में जनजातीय विकास एक सामाजिक-आर्थिक परिप्रेक्ष्य, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।
6. महेंद्र, एस. आर. ए., भारत में जनजातीय विकास के लिए नीतियाँ एक आलोचनात्मक समीक्षा, जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज, 2014, 26 (3): 231-245.
7. जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार (2020), वार्षिक रिपोर्ट 2020-21.
8. शर्मा, के., सरकारी योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों का आर्थिक सशक्तिकरण, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 2019, 54 (15), 37-41.
9. भुल्लर, एल. भारतीय वन अधिकार अधिनियम 2006 एक आलोचनात्मक मूल्यांकन, जर्नल ऑफ लॉ, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, 2008, 4 (1): 20-34.
10. भूरिया, डी. एस. (2004), अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति

आयोग की रिपोर्ट, भारत सरकार, नई दिल्ली।
11. रामचंद्रन, एस. (2012), भारत में जनजातीय विकास कार्यक्रम, अभिजीत प्रकाशन, नई दिल्ली।
12. शर्मा, ब्रह्मदेव, आदिवासी विकास एवं सैद्धान्तिक विवेचना, म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल।
13. गुप्ता, मन्जू (2011), जनजातियों का सामाजिक-आर्थिक उत्थान, अर्जुन पब्लिसिंग हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली।
14. कुमार, ए. (2004), जनजातीय विकास और नियोजन, अनमोल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 45-48.
15. नाइक, रमेश, भारत के जनजातीय विकास की समस्याओं और संभावनाओं का अवलोकन, इंडियन जर्नल ऑफ रिसर्च, 2017, 6: 10-11.
16. पांडा, एन. के. (2006), जनजातीय विकास हेतु नीतियाँ, कार्यक्रम और रणनीतियाँ, कल्पाज प्रकाशन, नई दिल्ली।

****